रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 12, 2011/पौष 22, 1932
No. 14] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 12, 2011/PAUSA 22, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2011

सा.का.नि.15(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) संशोधन नियम, 2011 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

(3) इन नियमों के प्रकाशन से पूर्व निष्पादित करारों और संविदाओं और आमंत्रित निविदाओं के संबंध में ये नियम लागू नहीं होंगे।

2. (क) राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 (इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) के नियम 4 के उप-नियम (2) में,—

(i) उल्लिखित तालिका के लिए निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

यान का प्रकार	फीस की प्रति किमी. आधार दर (रुपए में)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर यान	0.65
हल्का वाणिज्यिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक यान	2.40
भारी निर्माण मशीनरी या अर्थ मूविंग उपस्कर या बहुधुरीय यान (चार से छ: धुरी)	3.45
विशाल आकार के यान (सात या अधिक धुरी)	4.20

(ii) पैरा 'घ' के लिए स्पष्टीकरण में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) 'भारी निर्माण मशीनरी' या 'अर्थ मूविंग उपस्कर' या 'बहुधुरीय यान' से भारी निर्माण मशीनरी या अर्थ मूविंग उपस्कर या चार से छह धुरी वाले बहुधुरीय यान (ट्रेलर की धुरी, यदि कोई हो, सहित) सहित पच्चीस हजार किलोग्राम से अधिक किन्तु साठ हजार किलोग्राम से कम सकल यान भार वाले यान के साथ यांत्रिक यान अभिप्रेत है";

(iii) पैरा (ड.) के पश्चात्, स्पष्टीकरण में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, अर्थात् :-

'(च) तीन धुरी वाले यान से तीन धुरी वाले किसी यांत्रिक यान (ट्रेलर की धुरी सहित, यदि कोई हो) से अभिप्रेत है जिसका सकल यान भार पच्चीस हजार किलोग्राम से कम या बराबर है';

(ख) नियम 4 के उप-नियम (4) में फीस की आधार दर से संबंधित तालिका के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

फीस की आधार दर (प्रति यान प्रति फेरा रुपए)						
स्थायी पुल या सुरंग की लागत (करोड़ रु0)	कार, जीप, वैन या हल्का मोटर यान	हल्का वाणिज्यिक यान, हल्का माल यान या मिनी बस	ट्रक या बस	तीन धुरी वाले वाणिज्यिक यान	भारी निर्माण मशीनरी या अर्थ मूविंग उपस्कर या बहुधुरीय यान	विशाल आकार के यान
10 से 15	5	7.50	15	16.50	22	30
प्रत्येक अतिरिक्त पाँच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए, पंद्रह करोड़ रुपए से अधिक और एक सौ करोड़ रुपए तक	1	1.50	3	3.30	4.50	6
प्रत्येक अतिरिक्त पाँच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए, एक सौ करोड़ रुपए से अधिक और दो सौ करोड़ रुपए तक	0.75	1.15	2.25	2.45	3.40	4.50
प्रत्येक अतिरिक्त पाँच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए, दो सौ करोड़ रुपए से अधिक	0.50	0.75	1.50	1.65	2.25	3

3. उक्त नियमावली के नियम 6 के उप-नियम (6) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(6) (क) फीस का संग्रहण, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या निष्पादन प्राधिकारी द्वारा और रियायतग्राही द्वारा किए गए करार के निबंधनों के अनुरुप विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किया जाएगा ।

(ख) रियायत करार के अनुसार यथा अधिसूचित फीस, रियायत अवधि के अंत तक उद्ग्राह्य होगी और रियायत करार अवधि के पूरा होने के पश्चात् फीस, राष्ट्रीय राजमार्गों के ऐसे खंड, पुल, सुरंग या उपमार्ग, जैसा भी मामला हो, के हस्तांतरण की तारीख पर इन नियमों के अनुसार वार्षिक रूप से संशोधित की जाने वाली फीस की 40 प्रतिशत घटाई गई दर पर केन्द्रीय सरकार की कार्यपालक एजेंसी द्वारा एकत्र की जाएगी :

परन्तु यह कि लोक वित्त पोषित परियोजना के संबंध में वसूली गई प्रयोक्ता फीस के माध्यम से पूंजीगत लागत की वसूली के पश्चात् उद्ग्राह्य फीस, राष्ट्रीय राजमार्गों के ऐसे खंड, पुल, सुरंग या उपमार्ग, जैसा भी मामला हो, के लिए इन नियमों के अनुसार वार्षिक रूप से संशोधित की गई प्रयोक्ता फीस के 40 प्रतिशत तक घटकर होगी' ।

4. नियम 9 में उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, अर्थात:-

'(3क) ऐसा कोई व्यक्ति जो पंजीकरण प्रमाण-पत्र पर किसी विशेष जिले के पते पर पंजीकृत किसी वाणिज्यिक यान (राष्ट्रीय परमिट के अंतर्गत चलने वाले यान को छोड़कर) का स्वामी है और ऐसे वाहन का उपयोग, यथास्थिति राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी ऐसे खंड, स्थायी पुल, सुरंग या उपमार्ग पर यात्रा करने के लिए करता है, जो उसी जिले में अवस्थित है, तो उससे उन सभी पथकर प्लाजाओं पर जो उस जिले में स्थित हैं, विनिर्दिष्ट फीस दर की पचास प्रतिशत दर पर प्रयोक्ता फीस उद्गृहीत की जाएगी:

परन्तु यह और कि यदि ऐसे किसी वाणिज्यिक यान के लिए कोई सर्विस सड़क या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है तो ऐसी कोई रियायत प्रदान नहीं की जाएगी ।'

[फा. सं. आर डब्ल्यू/एनएच-25011/17/2009-पी एंड पी-पार्ट III]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—प्रधान नियम सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5 सितम्बर, 2008 के तहत प्रकाशित किए गए थे तथा सा.का.नि. 950(अ), तारीख दिसम्बर, 2010 के तहत संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2011

G.S.R. 15(E).—In exercise of the powers conferred by the section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, namely:-

1. (1) These rules may be called the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall not apply to agreements and contracts executed and bids invited prior to the publication of these rules.

2. (a) In National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (2) of rule 4, -

(i) for the table, the following table shall be substituted, namely:-

"

Type of Vehicle	**Base rate of fee per km (in Rupees)**
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery(HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

";

(ii) in the explanation, for para '(d)', the following shall be substituted, namely:-

"(d) **'Heavy construction machinery' or 'Earth moving equipment' or 'Multi-axle vehicle'** means heavy construction machinery or earth moving equipment or mechanical vehicle including a multi-axle vehicle with four to six axles or vehicle (inclusive of the axle of

the trailer, if any) with a gross vehicle weight exceeding twenty five thousand kilograms but less than sixty thousand kilograms;";

(iii) in the explanation, after para '(e)', the following shall be inserted, namely:-

"(f) **Three-Axle Vehicle** means any mechanical vehicle having three-axles (inclusive of the axle of the trailer, if any) and with a gross vehicle weight, less than or equal to twenty five thousand kilograms;";

(b) In sub-rule (4) of rule 4, for the table relating to base rate of fee, the following shall be substituted namely:-

" **Base rate of fee (Rupees per vehicle per trip)**

Cost of permanent bridge, or tunnel (Rupees in crore)	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	Truck or Bus	Three-axle commercial vehicles	HCM, EME or MAV	Oversized Vehicle
10 to 15	5	7.50	15	16.50	22	30
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees fifteen crore and up to Rupees one hundred crore.	1	1.50	3	3.30	4.50	6
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees one hundred crore and upto Rupees two hundred crore.	0.75	1.15	2.25	2.45	3.40	4.50
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees two hundred crore.	0.50	0.75	1.50	1.65	2.25	3

3. For sub-rule (6) of rule 6 of the said rules, the following shall be substituted, namely:-

"(6) (a). The fee shall be collected by the Central Government or the executing Authority as the case may be and for a specified period in accordance with the terms of agreement entered by the Concessionaire.

98 GI/11-2

(b) The fee as notified as per Concession Agreement shall be leviable till the end of the concession period and after the Concession Agreement is over, the fee shall be collected by the Central Government executing authority at a reduced rate of 40% of the fee on the date of transfer of such section of National Highways, bridge, tunnel or bypass, as the case may be, to be revised annually in accordance with these rules:

Provided that after the recovery of capital cost through user fee realised, in respect of a public funded project, the fee leviable would be reduced to 40% of the user fee for such section of National Highways, bridge, tunnel or bypass as the case may be, to be revised annually in accordance with these rules.".

4. In rule 9, after sub-rule (3), the following shall be inserted, namely:-

"(3A) A person, who owns a commercial vehicle (excluding vehicle plying under National Permit), registered with address on the Registration Certificate of a particular district and uses such vehicle for commuting on a section of the National Highway, permanent bridge, tunnel or bypass, as the case may be, which is located within that district, shall be levied user fee on all toll plazas which are located within that district, at the rate of fifty percent of the prescribed rate of fee:

Provided that no such concession shall be provided, if a service road or alternative road is available for use by such commercial vehicles."

[F. No. RW/NH-25011/17/2009-P&P-Part III]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published vide number G.S. R. 838(E) dated the 5th December, 2008 and amended vide G.S.R. 950(E), dated the 3rd December, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.